

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी / 19/22415

दिनांक: 31/X/19

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ में पैरवी की स्थायी व्यवस्था के लिए श्री संजय खमेसरा पुत्र श्री वृद्धिचन्द्र खमेसरा, एडवोकेट, को नियमानुसार देय पारिश्रमिक पर पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है। इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दि. 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगरपालिका, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ से देय होगा।

(डॉ. प्रवीण कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी / 19/22416-24
प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 31/X/19

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
05. अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगरपालिका छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ।
06. श्री संजय खमेसरा पुत्र श्री वृद्धिचन्द्र खमेसरा, एडवोकेट मार्फत, नगरपालिका छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

(1966)